न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः-34 /अ-19(3)/2017-18/6919 बैतूल दिनांक 4 /6/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के पत्र क्रमांकः- 4439/कार्य/2018, दिनांक 6-4-2018 द्वारा, मोखा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रही कुल 4.200 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में मौजा गोपालपुर तहसील घोडाडोंगरी स्थित 10.968 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर से प्रतिवेदन आहूत किया गया।

2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.)शाहपुर द्वारा उक्त संबंध में नायब तहसीलदार घोडाडोंगरी (चोपना वृत्त) से जाँच कराई जाकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

(1)- मौजा गोपालपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 253.438 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में से 10.968 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में विधिवत् उदघोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- राजस्व अभिलेख के अनुसार मौजा गोपालपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 253.438 हेक्टेयर भूमि बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है।

(3)- ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की बैठक दिनांक 14-4-2018 में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम गोपालपुर में उपस्थित ग्रामवासियो को उपरोक्तानुसार भूमि हस्तांतरण करने में आपत्ति है, क्योंकि गोचर भूमि होने के कारण ग्रामवासी सहमति नहीं दे रहे है। प्रस्ताव के हस्ताक्षर वाले कालम में टीप अंकित की गई है कि, प्रस्ताव सदस्यो की उपस्थिति में पारित हस्ताक्षर करने में असहमत है।

(4)- नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से अधिक है। अत:मौजा गोपालपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 253.438 हेक्टेयर में से 10.968 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांरित किया जाना उचित है।

(5)- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से लेख नहीं किया गया है कि, उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव है अथवा ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव है। भूमि हस्तांतरण हेतु आपत्ति करने का

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-34/अ-19(3)/2017-18/ 6919 बैतूल दिनांक 4/6/2018

प्रतिलिपिः-

1- वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ ।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।

3- नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.